झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची

बी0 ए0 संख्या–76/2020

सुमित उराँव .... याचिकाकर्त्ता

बनाम्

झारखण्ड राज्य .... विपक्षी पक्ष

कोरम : माननीय न्यायमूर्ति श्री रोंगन मुखोपाध्याय

याचिकाकर्त्ता के लिएः श्री मोहित प्रकाश, अधिवक्ता।

विपक्षी पक्ष के लिएः श्री नवीन कुमार गंझू, ए0पी0पी0।

2/21.01.2020 याचिकाकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री मोहित प्रकाश एवं राज्य की ओर से विद्वान ए0पी0पी0 श्री नवीन कुमार गंझू को सुना।

याचिकाकर्त्ता को पूसो थाना काण्ड संख्या 05/2018 तद्नुसार जी0आर0 संख्या 208/2018, एस0टी0 संख्या 243/2019 के संबंध में एक अभियुक्त बनाया गया है।

सूचक के माता–पिता को हत्या अभियुक्तगण के द्वारा करने का शक था। ऐसा प्रतीत होता है कि आरोप सामान्य प्रकृति का है। कई सह–अभियुक्तगण जैसे परमेश्वर उराँव, सुखराम उराँव और लाला उराँव को इस न्यायालय के द्वारा बी0ए0 संख्या 7469/2019, बी0ए0 संख्या 7176/2019 और बी0ए0 संख्या 7122/2019 में जमानत प्रदान किया गया है।

उपरोक्त के संदर्भ में, उपरोक्त नामित याचिकाकर्त्ता को 10,000/— रूपये (दस हजार) के बंधपत्र एवं समान राशि के दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर, विद्वान प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश—सह—विशेष न्यायालय, गुमला संतुष्टि पर पूसो थाना काण्ड संख्या 5/2019 तद्नुसार जी0आर0 संख्या 208/2019, एस0टी0 संख्या 243/2019 में जमानत पर छोड़ने का आदेश दिया जाता है।

(रोंगन मुखोपाध्याय, न्याया0)